

फर्द अहकाम

बनाम 56/12 पान

2100

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या: 01/2023

रपत

ACMS

2023/182

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
-------------	---------------------------	----------------------	-------

23.12.25

बकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 13.01.26 को पेश हो।



13.1.26

बकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 10.2.26 को पेश हो।

19/01/26

पत्रावली आज उर्फी परीक्षा उत्तर द्वारा ज.पत्र की आज ही तब कर विक्री करने का पत्र होने पर आज तब ही गई। उर्फी 5 ज.पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ डूल ज.पत्र जो लीकर कर पत्रावली को खारिज करने के लिए भिजा दिया। बहम पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ज.पत्र लीकर किया गया, शा.मि. किया गया। अतः ज.पत्र 177 RTA इकी फल पर विक्री कर खारिज किया जाता है। पत्रावली के लाल हुमात होने पर नमूदा से कम ही बह दायित्व इफतार है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (जिला-कोटपूतली बहरोड़)